

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 99 ]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 19 मार्च 2024—फाल्गुन 29, शक 1945

#### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 मार्च 2024

#### शुद्धि-पत्र

क्र. 4943-63-इक्कीस-अ(प्रा.)—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 76, दिनांक 11 मार्च, 2024 में प्रकाशित किए गए मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (क्रमांक 3 सन् 2024) में नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में वर्णित उन शब्द, अंक तथा कोष्ठक के स्थान पर जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) में वर्णित पृष्ठ तथा पंक्तियों में आए हैं, उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टि में दिए गए शब्द, अंक तथा कोष्ठक पढ़े जाएं :—

#### सारणी

अशुद्ध मुद्रित हुए शब्द, अंक, चिन्ह तथा कोष्ठक	राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्तियों जिनमें वे शब्द, अंक तथा कोष्ठक आए हैं	शुद्ध शब्द, अंक तथा कोष्ठक जो कि पढ़े जाएं				
(1)	(2)	(3)				
(1) (क्रमांक 2 सन् 2024)	<table border="1"><thead><tr><th>पृष्ठ</th><th>पंक्ति</th></tr></thead><tbody><tr><td>152(1)</td><td>24</td></tr></tbody></table>	पृष्ठ	पंक्ति	152(1)	24	(क्रमांक 1 सन् 2024)
पृष्ठ	पंक्ति					
152(1)	24					

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.